



श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मान. मुख्यमंत्री (मध्यप्रदेश)

योजना क्रमांक 140 आनंदवन फेस-2 में आवासीय उपयोग के 11 प्रकोष्ठो को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किये जाते है। प्रकोष्ठो का विवरण निम्नानुसार है-

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	कारपेट एरिया (वर्ग मी. में)	बालकनी एरिया (वर्ग मी. में)	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्ग मी. में)	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य (रु.लाख में)	पंजीयन राशि (रु.लाख में)
1	2-BHK	4	आवेदन फार्म में संलग्न सूची अनुसार	80.38 से 83.99	18.44 से 18.56	131.80से 132.54	55.43 से 56.93	6.00
2	3-BHK	1		109.85	21.43	173.59	76.52	8.00
3	4-BHK	6		144.70	27.88 से 28.30	229.48 से 230.03	106.59 से 107.89	11.00



ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथियाँ

लोकेशन हेतु स्केन करें

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की दिनांक एवं समय	13-05-2023	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	06-06-2023	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र जाँच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	07-06-2023	11:30 hrs
4	लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	13-06-2023	12:30 hrs

नोट :-

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते है।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठो के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम,2018 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- योजना का इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 2006 एवं पत्र क्र. 2008 दि. 04.03.2021 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र क्र. 196 एवं 198 दिनांक 18.06.2021 द्वारा प्राप्त
- योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-18-1920 है।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी,इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल मे मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।